SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

Regd. Under The Indian Trust Act 1982 of the Government of India & Govt. of U.P.
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Opp. Street No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

Ref. No:-2025/04/SFCF/101 **Date: -** 16.04.2025

सेवा में,

आदरणीय कुलपति जी,

चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ।

विषयः– एम0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षको के सत्यापन के लिए शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 की आड़ में स्ववित्तपोषित संस्थानों के शोषण को रोकने एवं गलत तरीके से इस शिक्षक सत्यापन प्रथा पर रोक लगाए जाने के संबंध में।

महोदया,

आप कृपया अवगत हो की प्रत्येक वर्ष एम0एड0 संकाय में स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको का सत्यापन विवि0 के शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाता है जिसके लिए सभी एम0एड0 संचालन करने वाले स्ववित्तपोषित संस्थानों को एक निर्धारित तिथि पर विवि0 के शिक्षा विभाग में उपस्थित होने के आदेश देकर बीते 19 वर्ष से यह प्रथा चलाई जा रही है। विवि0 द्वारा शासनादेश संख्या 5125 (1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 का प्रत्येक वर्ष अपने पत्र में उल्लेख करते हुए केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षको की परेड कराई जाती है जो की पूर्णतया उनको अपमानित और द्वेषपूर्ण तरीके से विवि0 का शिक्षा विभाग करता आ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षको के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ ही उनके वर्ष भर के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रतिया सत्यापन के समय मांगी जाती है जो की उनकी निजता को प्रभावित करती है लेकिन नियमो को ताक पर रखकर यह सत्यापन का खेल बेरोकटोक जारी है।

"फेडरेशन" ने शिक्षको के बार–बार आधार कार्ड जैसे सवेदनशील प्रपत्र को मांगे जाने को लेकर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के समक्ष 24 जून 2023 को अपनी चिंता जाहिर की थी जिस पर प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनाँक 20 जुलाई 2023 के द्वारा आपको नियमो से अवगत कराते हुए कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी थी **(प्रति सलग्न)** लेकिन विवि0 के शिक्षा विभाग में उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिक्षको के बैंक स्टेटमेंट को मांगे जाने के संदर्भ में विवि0 सूचना अधिकार अधिनियम में अपील संख्या एस–10–3490/ए/2020 शशांक सिंह बनाम जन सूचना अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विवि0, मेरठ में आयोग के आदेश दिनाँक 10.02.2022 में भी माना है की शिक्षकों के बैंक स्टेटमेंट लिए जाने का शासन का कोई आदेश नहीं है और यह विवि0 की अपनी व्यवस्था है जिस पर **आयोग ने अपने आदेश में भी स्पष्ट उल्लेखित किया है की बैंक स्टेटमेंट लिए जाने से शिक्षको की**

16.4.25

निजता प्रभावित होती है और विवि को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए (प्रति सलग्न) लेकिन विवि0 के शिक्षा विभाग में सत्यापन के नाम पर शिक्षको के आर्थिक डेटा को लिया जाता है और इससे खुलेआम उनकी निजता प्रभावित होती है।

विवि0 की यह नीति केवल और केवल स्ववित्तपोषित संस्थानों के लिए ही लागू की जा रही है जो की न्यायसंगत नहीं है। **विवि0 द्वारा सत्यापन के समय अगर किसी भी स्ववित्तपोषित संस्थान में एक भी शिक्षक मानक से कम है तो उसको काउन्सलिंग में सम्मलित नहीं करता यहै वही सहायता प्राप्त/ राजकीय महाविद्यालय और विवि परिसर जिनमे एम एड पाठ्यक्रम संचालित है के लिए यह नियम लागू नहीं है जिससे प्रतीत होता है की स्ववित्तपोषित संस्थानों के शोषण करने और अप्रत्यक्ष लाभ पाने के उद्देश्य से इस तरह से सत्यापन का खेल संचालित किया जा रहा है। सहायता प्राप्त/राजकीय महाविद्यालय और विवि0 परिसर जिनमे एम0एड0 पाठ्यक्रम संचालित है उनमे मानकों के अनुसार शिक्षक पूर्ण ही नहीं है लेकिन उनको प्रतिवर्ष काउन्सलिंग में भी प्रतिभाग भी कराया जा रहा है और छात्र भी आवंटित किये जा रहे है जबकि कई स्ववित्तपोषित संस्थानों में छोटी छोटी कमियों का आधार बनाकर और एक भी शिक्षक की कमी होने पर उनको कॉउंसलिंग से बाहर किया जा रहा है जिससे विवि की नीति ना तो सभी संस्थानों के प्रति पारदर्शी है और ना ही समान है।**

शिक्षको की आवश्यकता स्ववित्तपोषित संस्थानों में अगर है तो क्या सहायता प्राप्त/राजकीय महाविद्यालय के लिए एम0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षक की पूर्ण उपलब्धता आवश्यक नहीं है और अगर है तो फिर एम0एड0 पाठ्यक्रम में अधूरे शिक्षको के बाद भी छात्रों का आवंटन इनको किस आधार पर होता आ रहा है यह सोचिनीय है। स्ववित्तपोषित संस्थानों में विवि0 द्वारा ही शिक्षको को अनुमोदन प्रदान किया जाता है और फिर उन्ही शिक्षकों को सत्यापन लिए प्रत्येक वर्ष विवि0 बुलाया जाता है जबकि विवि0 कभी भी यह प्रक्रिया सहायता प्राप्त/राजकीय महाविद्यालय एवं विवि परिसर के एम0एड0 के शिक्षको के साथ नहीं करता है जिससे स्पष्ट समझा जा सकता है की विवि0 की यह प्रक्रिया कितनी नैसर्गिक और समानुपातिक है।

अतः इस सत्यापन की आड़ में स्ववित्तपोषित संस्थानों और उनके शिक्षको का शोषण रोकते हुए उनकी निजता प्रभावित नहीं हो इसके लिए शासनादेश संख्या 5125(1) 70–2–2005 दिनाँक 21.10.2005 पर सामान नीति अपनाये जाने की आवश्यकता है, "फेडरेशन" आपसे अनुरोध करती है की जब विवि0 द्वारा ही शिक्षको का अनुमोदन जारी किया जा रहा है तो प्रत्येक वर्ष सत्यापन के नाम पर हो रहे इस शोषण को बंद कराते हुए अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने की कृपा करे।

सादर

16.4.25

(नितिन यादव)
अध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला
वरिष्ठ उपाध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
महासचिव

पत्र फेडरेशन की अधिकृत वेबसाइट www.sfcf.in पर SFCF Desk में भी अपलोड है।

पत्र की आधिकारिक पुष्टि वेबसाइट से की जा सकती है।